बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति,कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0 (विविध)09–09/12– 2881

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 18.12.12

विषय– **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के तहत आगलगी की धटना/पूर्णतया नष्ट/जले हुए मकान के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति हेतु आश्रितों को प्रावधानुसार देय सुविधाओं के मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के तहत नियम–12(4)(21) के मामलें में कुछ जिलों से अत्याचार से पीड़ित/आश्रितों को तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दाल, दलहन आदि की व्यवस्था के संबंध में तथा नियम–12(4) की कंडिका–22 के तहत पूर्णतया नष्ट/जले हुए मकान को सरकारी खर्च पर ईट/पत्थर का मकान निर्माण की प्रति ईकाई किस दर पर लागत राशि देय होगी? इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

2– माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–26.10.12 को सम्पन्न ''राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति'' की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त बिंदुओं के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शन दिया जाता है:–

(क) आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1/प्रा0आ0(2)–24/2006–52(प्र0)/आ0प्र0 दिनांक–26.05.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य आपदा रिस्पांस कोष के निर्धारित मानदर पर अत्याचार से पीडित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दाल, दलहन आदि व्यवस्था की कार्रवाई नियमानुसार की जा सकती है।

(ख) नियम–12(4) की कंडिका–22 के तहत अत्याचार के मामलों में पूर्णतया नष्ट/जले हुये मकान को सरकारी खर्च पर ईट/पत्थर का मकान का निर्माण गृह (विशेष) विभाग के संकल्प सं0 –ए0/विविध–(38)–60/2008–4624 दिनांक–16/05/12 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित दर पर स्वीकृति दी जा सकती है।

3– उक्त व्यवस्था/राहत पर होने वाले व्यय का वहन अत्याचार राहत मद् के लिए आवंटित राशि से जिला कल्याण कार्यालय से विकलनीय होगा।

4– जिला स्तर पर अत्याचार राहत में प्रत्येक मद के लिए व्यय किये गये राशि का अलग–अलग लेखा–जोखा पंजी का संधारण किया जाय।

अतः अनुरोध है कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 एवं संशोधन नियम–2011 के प्रावधान के अनुसार राहत राशि के अतिरिक्त उक्त राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्रत्येक माह इस मद में दी जानेवाली सहाय्य की विवरणी इस कार्यालय को भेजी जाय।

विश्वासभाजन

18/12/12

सरकार के सचिव।

Rameshwarbabu Sec.Cell

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)–09–09/2012– 2881 पटना, दिनांक– 18.12.12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/सभी विशेष पदाधिकारी (नियम–10 के तहत)/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 18.12.12

Rameshwarbabu Sec.Cell